




न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)
(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना BAS)

प्रकरण संख्या :-78/2021 (2021/285)

1. मीना पत्नी ताराचन्द मीना निवासी ग्राम हरड़ी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
-:वादीया:-

बनाम्

1. रामलाल पुत्र मंगलचन्द
2. छोटा देवी पत्नी हरपाल
3. जोधाराम पुत्र हरपाल
4. नीलम पुत्री हरपाल
5. शीला पुत्री हरपाल
6. अनिष कुमार पुत्र हरपाल
7. कन्हैयालाल पुत्र रामनाथ
8. गिराज पुत्र अमरचन्द
9. मंमली पत्नी अमरचन्द
10. हरिनारायण पुत्र अमरचन्द
11. हरसहाय पुत्र अमरचन्द
12. पुरण पुत्र अमरचन्द
13. प्रकाश पुत्र अमरचन्द
14. दिनेश पुत्र अमरचन्द



- समस्त जाति मीना समस्त निवासीगण हरड़ी लहरियों की ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
15. सब रजिस्ट्रार बस्सी जिला जयपुर।
 16. तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

-:प्रतिवादीगण:-

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री विनोद कुमार शर्मा, एड0 वादीया

श्री राकेश शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6

श्री अमरीश शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 व 12 ता 14

पर्चा डिक्री

दिनांक 28/10/2024

दावा वादीया तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 251/2.9210 है0 वाके
ग्राम हरड़ी प.ह. कुथाडाखुर्द भू.अ.नि. कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट
तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 13.12.2022 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का
पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

अधिकारी

क्र. सं.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	कन्हैयालाल पुत्र रामनाथ हि0 पूर्ण राहिन भूमि विकास बैंक शाखा जयपुर	251/1	0.9485
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.9485
2	हरसहाय पुत्र अमरचन्द 1/7 गिराज पुत्र अमरचन्द 1/7 दिनेश पुत्र अमरचन्द 1/7 प्रकाश पुत्र अमरचन्द 1/7 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्वावास 1/7, पूरण पुत्र अमरचन्द 1/7 हरिनारायण पुत्र अमरचन्द 1/7 मंगली पत्नी स्व0 अमरचन्द 1/7 राहिन ऑरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कानोता	251/2, 251/3	0.9485
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.9485
3	रामलाल पुत्र मंगलराम 1/2 राहिन ऑरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कानोता अनिष कुमार, जोधाराम पुत्रान हरपाल हिस्सा 1/5 शीला, नीलम पुत्रियां हरपाल 1/5 छोटा देवी पत्नी स्व0 हरपाल हिस्सा 1/10 सम्पूर्ण राहिन ऑरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कानोता	251/4, 251/6	0.6324
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.6324
4	मीना देवी पत्नी ताराचन्द हिस्सा पूर्ण समस्त जाति मीना सा.देह खातेदार	251/5	0.3161
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.3161
5	समस्त खातेदारों की शामिलती (जमाबन्दी अनुसार)	251	0.0755
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.0755

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्राक भू.अ./2022/11079 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रैजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादीया एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
बस्सी जिले जयपुर ग्रामीण